ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-7* August- 2021
Innovation The Research Concept

पर्यावरण संरक्षण और मानव जीवनः संवैधानिक एवं सरकारी प्रयास

Environmental Protection and Human Life: Constitutional and Government Efforts

Paper Submission: 13/08/2021, Date of Acceptance: 23/08/2021, Date of Publication: 24/08/2021

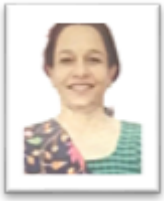

पुष्पा चौधरी
सह आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय कला
महाविद्यालय,
सीकर, राजस्थान, भारत

सारांश

भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रही है। वेदों, पुराणों एवं महाकाव्यों में पर्यावरण के प्रति समर्पण भाव के अनूठे उदाहरण उपलब्ध हैं। लेकिन जैसे-जैसे विज्ञान का विकास हुआ, वैसे-वैसे यह संवेदनशीलता लापरवाही एवं उत्तरदायित्वहीनता में परिवर्तित होती चली गई। यह स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि मानव समुदाय के समक्ष जीवन का संकट पैदा हो गया है। अनेकों सरकारी एवं संवैधानिक प्रयासों के उपरान्त भी समस्या विकराल रुप धारण किए हुए है। यदि मानव स्वयं इस समस्या के समाधान के प्रति संवेदनशील नहीं हुआ तो हो सकता है आने वाले समय में मानव सभ्यता नष्ट हो जाए। अतः हमें पर्यावरण को बचाने के लिए सकारात्मक होकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

Indian culture has been sensitive to the environment since ancient times. Unique examples of devotion to the environment are available in the Vedas, Puranas and epics. But as science progressed, this sensitivity turned into carelessness and irresponsibility. This situation has become so frightening that a crisis of life has arisen in front of the human community. Even after many government and constitutional efforts, the problem is taking a formidable form. If man himself has not become sensitive to the solution of this problem, then human civilization may be destroyed in the coming time. Therefore, we need to try positively to save the environment.

मुख्य शब्द : पर्यावरण संरक्षण, मानव जीवन, मानवीय हस्तक्षेप, भारतीय संविधान, सरकारी नीतियाँ, 12वीं पंचवर्षीय योजना।

Environment Protection, Human Life, Human Intervention, Indian Constitution, Government Policies, 12th Five Year Plan

प्रस्तावना

भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास नवीन नहीं है। हड़प्पा संस्कृति एवं वैदिक संस्कृति पर्यावरण के प्रति समर्पित रहे है। पृथ्वी पर विद्यमान जीवन का अस्तित्व पूर्णतः प्रकृति और पर्यावरण पर निर्भर है। प्रकृति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल, थल, वायु, अग्नि, आकाश इन्हीं पांच तत्वों से मानव का जीवन है और जीवन समाप्त होने पर वह इन्हीं तत्वों में विलीन भी हो जाता है। प्राचीन काल में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि को देवताओं का दर्जा दिया जाता था और मनुष्य उनकी पूजा करता था। केला, पीपल, तुलसी बरगद, आम आदि पेड़-पौधों की पूजा आज भी की जाती है। हमारे ऋषि-मुनियों ने पर्यावरणीय ज्ञान द्वारा अमरत्व को प्राप्त किया था।1 मध्यकाल एवं मुगल काल में भी पर्यावरण के प्रति प्रेम अनवरत बना रहा। वाल्मीकि की रामायण में अनेक घटनाओं के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि पर्यावरण के प्रति मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं और पर्यावरण पृथ्वी पर विद्यमान जीवों के लिए क्या महत्व रखता है। इस कारण शासक भी पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति दायित्व

बद्ध थे।2 भरत जब भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं तो वे बताते हैं कि उनके साथ विशाल सेना है लेकिन आश्रम के वृक्ष, जल, भूमि, पर्णशालाओं को हाथियों, घोड़ों और सैनिकों से कोई नुकसान न हो, इसलिए मैं अकेला आया हूँ।[3]

रामायण में जहां कहीं भी आश्रमों का वर्णन है, वे सघन वनों, सरोवरों से घिरे दिखाईदेते हैं। रावण भी, जो भिन्न संस्कृति के थे, वे भी सघन वनों के स्वामी थे।

मानव जीवन की आदिम अवस्था बहुत ही सीधी और सरल थी। मनुष्य अपनी मेहनत और लगन से अपने आस-पास के वातावरण की पूरी देखभाल करता था। प्रकृति को सहेज कर रखता था। पेड़-पौधों की पूरे मनोयोग से देखभाल करता था। इस कारण उसके चारों ओर स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण था। वह सम्पूर्ण सृष्टि को पर्यावरण मानता था। जैसे-जैसे मनुष्य की शारीरिक और मानसिक परिश्रम करने की क्षमता बढ़ती गई वैसे-वैसे उसका जीवन भी परिवर्तित होता चला गया। नए-नए आविष्कारों के माध्यम से उसने उच्च कोटि की उपलब्धियां अर्जित की। लेकिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास एवं गगनचुम्बी इमारतें खड़ी करने के लालच में जाने-अनजाने वह प्रकृति के साथी भी छेड़छाड़ करता चला गया। प्राकृतिक सम्पदा को नुकसान पहुंचाने से अनजान आज उसका स्वयं का जीवन संकटग्रस्त है। जल, थल, वायु सहित सम्पूर्ण पर्यावरण दूषित हो चुका है। एक जीवधारी और पर्यावरण के मध्य अन्योन्याश्रितता का सम्बन्ध है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अन्तर्गत सम्पादित होती है तथा हम मनुष्य अपनी क्रियाओं से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं।

पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है - परि और आवरण। 'परि' का अर्थ हैं - जो हमारे चारों ओर स्थित है और -'आवरण' का अर्थ है - आच्छादन अर्थात जो हमें चारों ओर से आच्छादित किये हुए है।4 इस प्रकार पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों के समुच्य से निर्मित इकाई है जो किसी जीवधारी के रुप में जीवन और जीविता को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण में दो संघटकों को सम्मिलित किया जाता है - जैविक और अजैविक। जैविक संघटक में समस्त जीव-जन्तु, कीड़े-मकोड़े, पेड़-पौधे आदि तथा अजैविक संघटक में जीवन रहित तत्व जैसे चट्टाने, पर्वत, नदी, हवा और जलवायु आदि को सम्मिलित किया जा सकता है।

मानव हस्तक्षेप के आधार पर भी पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है -

1. प्राकृतिक
2. मानव निर्मित5

हालांकि यह विभाजन आंशिक ही माना जा सकता है क्योंकि पर्यावरण न तो पूर्णतः मानव हस्तक्षेप से मुक्त है और न ही पूर्णतः मानव निर्मित। अतः यह विभाजन मानव हस्तक्षेप की न्यूनता और अधिकता का द्योतक मात्र है।

अध्ययन का उद्देश्य

1. पर्यावरण और मानव जीवन के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध है। दोनों के मध्य सन्तुलन पर्यावरण संरक्षण के द्वारा ही सम्भव है।
2. पर्यावरण संरक्षण औद्योगीकरण से जुड़ी हुई एक समस्या है। जबकि औद्योगीकरण की अवधारणा जीवन स्तर के सूचकांक से जुड़ी हुई एक आवश्यकता है।
3. बढ़ती जनसंख्या, अव्यवस्थित परियोजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन सामाजिक जीवन की आवश्यकताओं जैसे - कृषि स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की पूर्ति से सम्बन्ध नहीं रखता।
4. वन, जल, वायु और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पर्यावरण संरक्षण का मुख्य भाग है।
5. शोध पत्र के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण हेतु विभिन्न सरकारी एवं संवैधानिक प्रयासों को जन-जन तक पहुँचाना है।
6. औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निश्चित मानक निर्धारित किए जाने हेतु वातावरण बनाने की आवश्यकता है।
7. बढ़ती जनसंख्या एवं संसाधनों के अनियोजित दोहन के दुष्परिणामों को स्पष्ट करना।
8. मानव और प्रकृति के मध्य अन्तर्संवाद की स्थिति पैदा करने का वातावरण बनाना।
9. प्रचलित अंधविश्वासों के पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्परिणामों के प्रति जन-जन को जागरूक करना।

पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता

पर्यावरण संरक्षण हेतु चिंतन क्यों आवश्यक है, यह प्रश्न नूतन नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर अनेक पर्यावरणविदों की सोच एवं दृष्टिकोण राजनीतिक खांचे पर टिका हुआ रहा है। जबकि पर्यावरण संरक्षण में पक्षपात की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पर्यावरण संरक्षण राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। आदिकाल से ही पर्यावरण जीव जगत् के उद्भव और विकास में सहायक रहा है और भविष्य में भी रहेगा। जब हम पर्यावरण के मूल तत्वों को नष्ट करने लगते हैं तो वे स्वाभाविक प्राकृतिक क्रिया करने में असमर्थ हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप पारिस्थिकीय सन्तुलन में बाधा उत्पन्न होती है जो अनेकों प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनती है। वैज्ञानिक, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ एवं अर्थशास्त्री तथा भूगोलवेत्ता आदि सभी पर्यावरणीय संकट के प्रति निरन्तर

सचेत कर रहे हैं। यह चेतावनी दी जा रही है कि यदि इस दिशा में सकारात्मक प्रयास नहीं किए गए तो मानव सभ्यता के समक्ष संकट उपस्थित हो जायेगा।

मनुष्य अनेकों शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों से ग्रसित हो रहा है। जीव-जन्तुओं एवं पादपों की अनेकों प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं। नदियाँ औद्योगिक रसायनों के अपशिष्ट के कारण प्रदूषित हो गई है। बेहताशा वनों का विनाश हो रहा है। भू-स्खलन, बाढ़, अकाल, अतिवृष्टि जैसी समस्याओं में वृद्धि हो रही है। हमें इस सत्य पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है कि प्रकृति भी सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी के समान है जो अपनी क्षमतानुसार एवं समयानुसार ही हमें अपने उत्पाद उपलब्ध कराने में सक्षम है। यदि हम उनका अतिरिक्त दोहन करेंगे तो असन्तुलन निश्चित है। कृषि और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। विगत वर्षों से उन्नत तकनीक के प्रयोग द्वारा गैर जिम्मेदाराना तरीके से पर्यावरण का अतिक्ति दोहन हुआ है। जिससे पीने के पानी की समस्या, वन-वनस्पति और प्राणी सम्पदा का विलोप, सूखा, बाढ़ की समस्या, चरागाहों का सिमटना, भूमि की उपजाऊ मिट्टी का बिगड़ना आदि सभी समस्याऐं पैदा हो गई हैं। अतः पर्यावरण सुरक्षा हेतु प्रयास किया जाना अति आवश्यक है।

मनुष्य द्वारा विलासितपूर्ण जीवन के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रकृति के साथ की गई छेड़छाड़ के क्रियाकलापों ने प्राकृतिक पर्यावरण के सन्तुलन को पूर्णतः नष्ट कर दिया है। उससे उत्पन्न हुई समस्याओं के परिणामस्वरुप अब पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रबन्धन पर बहस आरम्भ हो गई है। इस उद्देश्य से पर्यावरण के प्रति आमजन को जागरूक करने एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रति वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना है। व्यक्ति प्रदूषण मुक्त वातावरण में ही गरिमामय जीवन जी सकता है।

भारतीय संविधान में निहित समाजवादी विचारधारा का मुख्य लक्ष्य है सभी को जीवन का सुखद स्तर उपलब्ध करवाना जो केवल एक प्रदूषण मुक्त वातावरण में ही सम्भव है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु संवैधानिक एवं सरकारी प्रयास

सम्पूर्ण विश्व इस तथ्य को स्वीकार करता है कि संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास सम्भव है। लेकिन बहुत कम देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने संविधान में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण को लिपिबद्ध किया है। उन चुनिन्दा देशों में भारत भी है जिसने अपने संविधान में प्रकृति एवं पर्यावरण से सम्बन्धित विभिन्न विषयों को महंता दी है। हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में पर्यावरण का अहम स्थान सुनिश्चित किया है।

अतः पर्यावरण को संवैधानिक स्तर पर मान्यता देते हुए सरकार और नागरिकों के पर्यावरण संरक्षण हेतु संवैधानिक दायित्व निश्चित किये हैं।

अनुच्छेद 21 प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा की गारन्टी प्रदान करते हुए यह व्यवस्था करता है कि प्रत्येक व्यक्ति की उन गतिविधियों को रोका जाए जो उसके जीवन, स्वास्थ्य और शरीर को हानि पहुंचाती हों।

अनुच्छेद 47 राज्य के दायित्व का निर्धारण करते हुए यह व्यवस्था करता है कि स्वास्थ्य की उन्नति हेतु राज्य का यह कर्तव्य है कि पर्यावरण सुधार के लिए प्रयास करें।

अनुच्छेद 48 यह व्यवस्था करता है कि राज्य पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण की व्यवस्था करेगा।6 अनुच्छेद 51ए प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्त्तव्यों की व्यवस्था करता हैं।

1976 के 42वें ऐतिहासिक संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में संशोधन कर दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद 48ए और 51ए (जी) जोड़े गए। जिसके आधार पर पर्यावरण संरक्षण को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 48ए केन्द्र और राज्य सरकारों को यह निर्देश देता है कि वे पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसमें सुधार सुनिश्चित करें तथा देश के वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा करें।7 इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 21 के प्रकाश में देखा जाना चाहिए जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित करता है।

42वें संशोधन के माध्यम से 51ए (जी) जोड़ते हुए यह व्यस्था की गई है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा करेगा, उसका सकारात्मक दिशा में सम्बर्द्धन करेगा तथा समस्त जीवधारियों के प्रति दयाभाव रखेगा।[8]

इसके अलावा अनुच्छेद 252 एवं 253 पर्यावरण को ध्यान में रखकर सरकारों को कानून बनाने के लिए अधिकृत करते हैं।

उपरोक्त संवैधानिक प्रयासों के अलावा सरकारी स्तर पर भी पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेकों प्रयास किये गये हैं। सरकारों ने पर्यावरण संरक्षण हेतु अनेकों अधिनियम पारित किये हैं जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इन्फ्लेमेबल्स सबस्ट सेज एक्ट 1952, रिवर बोडर्स एक्ट 1956, जल प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण सम्बन्धी कानून आदि।9 इसके बाद भी अनेकों अधिनियम बनाये गये हैं जैसे वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 इत्यादि।

इसके अलावा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भी इस

दिशा में प्रयास किये हैं जैसे गोविन्द वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत् विकास संस्थान की 1988 में स्थापना की। यह एक केन्द्रीय एजेन्सी है जो वैज्ञानिक ज्ञान को उन्नत करने, एकीकृत प्रबन्धन रणनीति तैयार करने, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने और सम्पूर्ण भारतीय हिमालयी क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से ठोस विकास सुनिश्चित करने का कार्य कर रही है। इसी प्रकार 1985 में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई। 2006 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति बनाई गई। इसी क्रम में 18 अक्टूबर, 2010 का राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन किया गया। प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य था- पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से सम्बन्धित मामलों का त्वरित एवं प्रभावी निपटारा किया जाए। यह एक विशिष्ट व प्रभावकारी निकाय है जो बहुअनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है।[10] इस प्राधिकरण की स्थापना करके भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया है। इससे पहले न्यूजीलेण्ड एवं आस्ट्रेलिया में ही ऐसे निकाय की स्थापना की गई है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण संरक्षण हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किए गए

1. 1 वर्ष 2017 तक नदियों के प्रदूषित भागों की 80 प्रतिशत सफाई एवं 2020 तक 100 प्रतिशत सफाई।
2. वर्ष 2017 तक सभी राज्य शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करें।
3. वर्ष 2017 तक देशी झीलों एवं जल निकायों (तालाब, बावड़ी, कुण्ड) को पुनः जीवित किया जाए।
4. सिंचाई एवं सामरिक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की ओर बढ़ना।
5. नदियों का बहाव क्षेत्र सुनिश्चित करना।
6. पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बेहतर प्रबन्धन हेतु प्रवर्तन संस्थाओं में सुधार किया जाए।

संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित करके सराहनीय कार्य किये हैं। इसके साथ-साथ जन जागरण, सचल पर्यावरणीय प्रयोगशाला, पर्यावरण सम्बन्धी आन्दोलन जैसे शांत घाटी आन्दोलन, नर्मदा बचाओं आन्दोलन, चिपको आन्दोलन इन सबका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने 2 अक्टूबर, 2014 को पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण हेतु स्वच्छता अभियान शुरू किया। जिसका उद्देश्य है गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को स्वच्छ रखना। इस अभियान के माध्यम से हर गाँव, शहर एवं कस्बे को स्वच्छ रखने के लिए पक्के शौचालय बनाना, पीने का साफ पानी घर-घर कचरा संग्रहण कर कचरा निपटारे की व्यवस्था करना तथा प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। ग्रीन क्लीयरैंस, वनारोपण व वृक्षारोपण आदि। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण हेतु 2025 की रुपरेखा जारी की है। उन्होंने कहां कि 2025 तक भारत पैट्रॉल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। पहले यह कार्य 2030 तक करना था इससे प्रदूषण को कम करने एवं आयात घटाने में मदद मिलेगी। तथा किसानों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।[11]

निष्कर्ष

पर्यावरण संरक्षण हेतु 200 से अधिक कानून बने हुए हैं लेकिन उनका खुले आम उल्लंघन होता है। इस कारण पर्यावरण संरक्षण हेतु कोई कदम प्रभावी सिद्ध नहीं हो रहे हैं। विस्फोटक आबादी, भोगवादी संस्कृति संसाधनों का अनवरत दोहन, परमाणु परीक्षण एवं औधोगिक विकास की लालसा से उत्पन्न समस्याओं को रोकना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ताकि आगामी पीढ़ी को संतुलित पर्यावरण उपलब्ध हो सकें। यदि मानवीय आवश्यकताओं एवं प्राकृतिक संसाधनों के मध्य सन्तुलन स्थापति करने के प्रयास किये जाये तो निश्चित रूप से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। भगवान महावीर ने अपरिग्रह सिद्धान्त के माध्यम से यही सन्देश दिया है। अपरिग्रह सिद्धान्त यह सन्देश देता है कि प्रत्येक प्राणी को केवल अपने हिस्से की प्राकृतिक सम्पदा का ही उपभोग करना चाहिए। इच्छाओं एवं कामनाओं को सीमित करना चाहिए। अपरिग्रह विकास का मार्ग है जो सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है।[12]

पर्यावरण को सुरक्षित करने एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अनेकों कानून बनने के बाद भी भारत में पर्यावरण की स्थिति गम्भीर बनी हुई है। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर इच्छाशक्ति की कमी तथा जनचेतना का अभाव कानूनों की प्रभावी पालना न होने के प्रमुख कारण बताए जा सकते हैं। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भी गन्दें नालों के रूप में परिवर्तित हो चुकी है। आज का मानव औद्योगीकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक निर्जीव पूर्जा बनकर रह गया है। हालांकि 1995 से 2010 के मध्य विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने इस समस्या पर शोध किया और निष्कर्ष निकाला कि अपने पर्यावरण के मुद्दों को सम्बोधित करने एवं पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने में भारत दुनियाँ में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिर भी विकसित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के पर्यावरण की गुणवत्ता के स्तर तक पहुंचने में भारत को लम्बा रास्ता तय करना होगा।[13]

आज हम जिस काल खण्ड से गुजर रहे हैं, वहां हमें अपने पौराणिक ग्रन्थों से प्रेरणा लेने कीआवश्यकता है।

पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होकर ही हम अपने तथा अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं।

पर्यावरण संरक्षण सिर्फ एक भावनात्मक बेचैनी नहीं है बल्कि यह जीवन का समाजशास्त्र है। जैसे भूख और भ्रष्टाचार हमें आराम से सोने नहीं देते वैसे ही पेड़, पहाड़, नदी-तालाबों की मौत पर भी कुछ बूंदे आँखों से निकलनी चाहिए। टिहरी बांध के खिलाफ किये गये सुन्दरलाल बहुगुण के 84 दिन के ऐतिहासिक अनशन ने धरती, जंगल, और पहाड़ की बात संसद तक पहुँचाई तथा इसी अनशन ने दुनिया को यह सन्देश दिया कि हिमालय का विकास कैसे होगा, यह सरकारें नहीं, हमारे पहाड़ और नदियां खुद तय करेंगे। अतः पर्यावरण के दुश्मनों से लड़ने के लिए हमें अभी कई 'बहुगुण' चाहिए।[14]

वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि हमें पर्यावरण के साथ सहयोगात्मक, समन्वयात्मक और सामन्जस्य पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने होगें । साथ ही हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को अपनाना होगा और संवैधानिक व सरकारी प्रावधानों का पालन करना होगा।

यदि हम अभी भी प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति सचेत नहीं हुए तो भविष्य में प्राकृतिक धरोहर के साक्षात् दर्शन करने से भी वंचित हो जायेंगे। एक कवि ने सही आव्हान किया है -

उठो साथियों, चलो साथियों, मिलकर हाथ बढ़ाऐं
प्रदूषण मुक्त हो सारी धरती, ऐसा पर्यावरण बनाऐं।
पेड़-पौधों से हमें मिलती ऊर्जा, और मिलते फल फूल
थोड़े से लालच में आकर, इनको काटने की करते भूल।
हरियाली धरती का है श्रृगांर, पेड़ों की श्रृंखला बनती है हार
स्वार्थ को छोड़कर मानव, इनसे उचित करो व्यवहार।
जल-थल-नभ हैं सब परेशान, प्रदूषण बढ़ा रहा अपनी पहचान
बदलें हम अपनी आदतों को, यह समझे हर इंसान।
स्वच्छता बने हमारी पहचान, व्यसन मुक्त हो सारा जहान
धरती माँ की बनी रहे शान, युवाशक्ति को देना होगा तन-मन का बलिदान।
नहीं भूलें हम गुरूवर की वाणी, संभालें प्राकृतिक सम्पदा पुरानी
नवीन पीढ़ी भी याद करेगी, अपने पुरखों की निशानी।[15]

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *सिंघवी, डॉ. नन्दिता - वेदों में पर्यावरण संरक्षण*
2. *चौधरी, डॉ. पुष्पा - वाल्मीकीय रामायण में राज्य व्यवस्था*
3. *नेगी, चन्दनसिंह - पर्यावरण डाइजैस्ट*
4. *त्रिपाठी, डॉ. दयाशंकर - पर्यावरण अध्ययन*
5. *बासक अनिंदिता - पर्यावरणीय अध्ययन*
6. *परसेप्शंस ऑफ इन्वायरमैंटल प्रोटेक्शन एण्ड इकॉनोमिक डवलपमेंट, आईजेआईएल वॉल्यूम - 24*
7. *त्रिपाठी, सन्ध्या - पर्यावरण संरक्षणः संवैधानिक दायित्व*
8. *राजस्थान पत्रिका - 06.01.2021*
9. *त्रिपाठी, सन्ध्या - पर्यावरण संरक्षणः संवैधानिक दायित्व*
10. *राजस्थान पत्रिका - 06.01.2021*
11. *दैनिक भास्कर - 06.06.2021*
12. *जैन, डिम्पल - अधिकार, शोध पत्रिका*
13. *द लिटिल ग्रीन डाटा बैंक द वल्ड बैंक - 2010*
14. *1दैनिक भास्कर - 26.05.2021*
15. *नवीन बांठिया - पर्यावरण संरक्षण, राजस्थान पत्रिका - 02.06.2021*